

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर ( अलवर )**  
**पीठासीन अधिकारी:- श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)**

राजस्व वाद संख्या:- 03/41/2023

दायर दिनांक:- 18/12/2023

जीसीएमएस नं०:- 2023/631

निर्णय दिनांक:- 28/10/2025

बउनवान

1. रामसिंह भीना पुत्र सौन्याराम जाति भीना निवासी समूची तहसील कठूमर।

—प्रार्थी

बनाम

1. जगदीश पुत्र कन्हैयालाल जाति भीना निवासी समूची तहसील कठूमर।
2. रमेश पुत्र कन्हैयालाल जाति भीना निवासी समूची तहसील कठूमर।
3. तहसीलदार कठूमर बहैसियत लेण्ड होल्डर तहसीलदार कठूमर।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति:- 1. श्री बलवीरसिंह चौधरी- अधिवक्ता प्रार्थी

—:निर्णय:—

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि आराजी खसरा नम्बर 103/2582 रकबा 0.21 हैक्ट, 104 रकबा 0.39 है, 225/2585 रकबा 0.80 है, 303/2586 रकबा 0.21 है, वाके ग्राम समूची तहसील कठूमर मे स्थित है। जो आराजी प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रेकॉर्ड आराजी है। जिस पर प्रार्थी काविज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजी की सीमायें हो रही है लेकिन उक्त आराजी की सीमायें खुली होने के कारण पडौसी खातेदार ताकत के बल पर प्रार्थी को परेशान करते रहते है तथा काश्त करने में बाधा व व्यवधान पैदा करते रहते है तथा खेत की डौलों को तोड कर उक्त आराजी की जमीन को अपने खेत में मिला लेते है पडौसी खातेदार जबरदस्त व लडाकू व्यक्ति है जो आये दिन प्रार्थी की उक्त खातेदारी की आराजी की मेडों को ट्रेक्टर से जोतकर व फावडों से काट कर उक्त आराजी की भूमि को अपनी आराजी में मिलाने की कोशिश करते है। मना करने पर झगडा करते है कुछ जमीन अपने खेतों में मिला भी ली प्रार्थी व अप्रार्थी के दोनों खेतों के बीच पहले कच्ची मेड स्थित थी जिसको अप्रार्थी ने धीरे-धीरे बीच में स्थित मेड को खत्म कर दिया है। एवं उस पर गढे पत्थरों को उखाडकर अपने खेत में मिलाकर कब्जा करने को उतारू है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से कहा कि दोनों के खेतों की पैमाईश करवा के बीच में डौर डाल देते है, तो अप्रार्थी ने पैमाईश के लिये भी मना कर दिया। जिस

राजस्व अधिकारी  
अलवर (राजस्थान) राज

कारण प्रार्थी स्वयं के खेत की पैमाइश करा कर दोनों खेतों के मध्य पत्थरगढी कराना चाहता है। अतः प्रार्थी ने उक्त आराजी की पैमाइश कराकर सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी कराये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तामीली नोटिस जरिये डाक भिजवाया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बावजूद रजिस्टर डाक सूचना के उपस्थित नहीं उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई। अप्रार्थी 3 से पैरोकार सरकार द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश नहीं करना चाह गया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ सत्य प्रतिलिपी जमाबन्दी हाल वाके ग्राम सानोली की पेश की है, एवं भौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 06.07.2023 पेश की जो शामिल पत्रावली है

हमने पत्रावली के तथ्यों, प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी। मुताबिक जमाबन्दी आराजी खसरा नम्बर 103/2582 रकबा 0.21 हैक्ट0, 104 रकबा 0.39 है0, 225/2585 रकबा 0.80 है0, 303/2586 रकबा 0.21 है0, वाके ग्राम समूची तहसील कटूमर प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। मुताबिक जमाबन्दी इस आराजी पर प्रार्थी काबिज रहकर काशत करता चला आ रहा है। उक्त आराजी की सीमायें हो रही है लेकिन उक्त आराजी की सीमायें खुली होने के कारण पडौसी खातेदार ताकत के बल पर प्रार्थीयान को परेशान करते रहते है तथा काशत करने में बाधा व व्यवधान पैदा करते रहते है तथा खेत की डौलों को तोड़ कर उक्त आराजी की जमीन को अपने खेत में मिला लेते है प्रार्थी व अप्रार्थी के दोनों खेतों के बीच पहले कच्ची मेड स्थित थी, जिसको अप्रार्थी ने धीरे-धीरे बीच में स्थित मेड को खत्म कर पडौसी खातेदारों ने अपनी आराजी में मिला लिया है। उसकी मेंड पर गडे पत्थरों को उखाडकर अपने खातेदारी के की आराजी में मिलाकर कब्जा बनाये हुये है। जो कि बिना किसी पैमाइश के है। प्रार्थी की जमीन को अपने हिस्से की आराजी में मिला ली है, जिसके लिये प्रार्थी ने पैमाइश कराने व सीमाज्ञान के पश्चात् पत्थरगढी कराने का निवेदन किया है। पत्रावली के तथ्यों, प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

### —:: आदेश ::—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार कटूमर को आदेशित किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 103/2582 रकबा 0.21 हैक्ट0, 104 रकबा 0.39 है0, 225/2585 रकबा 0.80 है0, 303/2586 रकबा 0.21 है0, वाके ग्राम समूची के खेत की चारों सीमायों के बीच विधि अनुसार पैमाइश/सीमाज्ञान कर प्रार्थी के खर्चे पर पत्थरगढी कराकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे। आदेश की तहरीर तहसीलदार कटूमर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर होकर दाखिल दफ़्तर हो। सुनाया।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतवीस (आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी कटूमर (अलवर)